

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 303 /2022

उनवान

पन्नालाल पुत्र रामनाथ जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- छोटू पिता लादू गिरी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 2- परमेश्वर पिता रामधन जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 3- माधू पिता उकार जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 4- अमित पिता बालू जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 5-6 सूरजकरण, किशन गोपाल पिता जगदीश जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 7- संतोष पत्नी जगदीश जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 8-10 प्रधान, सुरेन्द्र, ओमप्रकाश पिता रामलाल जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 11- भंवर पिता रतनलाल गुसाईं निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 12- बालू पिता लादू जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 13- गोपाल पिता गंगाराम जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 14- देवकरण पिता चन्द्रा बलाई निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 15- भैरू सिंह पिता कजोड़ राजपूत निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 16- नारायण सिंह पिता कजोड़ राजपूत निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 17- धनराज पिता छीतर महाजन निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 18- उदयलाल पिता रामकुंवार जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चंद नौलखा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 20.9.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 4445/2461 रकबा 0.52 है0, 4457/3860 रकबा 1.12 है0, 4459/3905 रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 रकबा 2.21 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 10, 13 लगायत 16, 18 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 11, 12, 17 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बच्छखेड़ा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 3 रकबा 2.21 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 900/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा